

# विज्ञप्ति

शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत इस कार्यालय में ओथोगिक शिक्षुओं का एक वर्ष के लिए चयन किया जाता है चयनित शिक्षुओं को प्रशिक्षण एवम भत्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत देय होगा । कर्मशाला, झज्जर में दिनांक 25.03.2025 को नीचे दर्शाए गए निम्नलिखित ट्रेड्स के प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है। जिन प्रशिक्षुओं ने ऑनलाइन पोर्टल पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया है । वह प्रशिक्षु अपने मूल दस्तावेज जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मेट्रिक सर्टिफिकेट, आई टी आई मार्कशीट, आधार कार्ड आदि लेकर दिनांक 25.03.2025 को कर्मशाला, झज्जर में प्रातः 10.00 बजे पहुंचें।

| क्रमांक | ट्रेड्स             | रिक्त पद |
|---------|---------------------|----------|
| 1       | पेंटर               | 1        |
| 2       | मोटर मेकेनिक व्हीकल | 10       |
| 3       | फिटर                | 15       |
| 4       | विधुतकार            | 06       |
|         | कुल                 | 32       |

नोट :-

1. शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार किसी भी संस्थान से पूर्व में प्रशिक्षण पूरा कर चुके उम्मीदवार दूसरी बार प्रशिक्षण लेने के पात्र नहीं हैं ।
2. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल <https://www.apprenticeshipindia.gov.in> पर अपना रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25.03.2025 तक कर सकते हैं ।
3. महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन झज्जर के पास अपरेंटिस विज्ञप्ति में वर्णित रिक्तियों को घटाने और बढ़ाने का अधिकार है।
4. चयनित उम्मीदवारों का चयन, सहायक शिक्षुता सलाहकार झज्जर द्वारा उनके कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करने के बाद ही पूर्ण माना जाएगा। अतः सभी प्रशिक्षुओं अपना कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द बनवा कर यह सुनिश्चित करें की उनका कॉन्ट्रैक्ट सहायक शिक्षुता सलाहकार झज्जर द्वारा हस्ताक्षरित हो गया है या नहीं।
5. चयनित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु झज्जर डिपो या बहादुरगढ़ सब डिपो कहीं पर भी भेजा जा सकता है।

महाप्रबंधक